V

Printed Pages : 7

(20526)

Roll No. .....

LL.M.-II Sem.

L-50

LL.M. Examination, May-2026

Constitutional Law of India - II

(L-2001)

Time : Three Hours] *[Maximum Marks : 70*

Note : Attempt any **five** questions out of following ten questions. Each question carries 14 marks. 5×14=70

नोट : निम्नलिखित दस प्रश्नों में से किन्हीं **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 14 अंकों का हैं।

1. With the help of Constitutional provisions and judicial pronouncements discuss the competitive federalism as prescribed under Indian Constitution.
संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों की सहायता से भारतीय संविधान के अन्तर्गत विहित प्रतिस्पर्धी संघवाद की विवेचना कीजिए।

2. Various doctrines have been evolved by the Indian Judiciary to make a balance in between Union and state government in terms of distribution of legislative powers. With the help of decided cases discuss those doctrines.

विधायी शक्तियों में वितरण के मामलें में संघ और राज्य के बीच संतुलन बनाने के लिए भारतीय न्यायपालिका द्वारा विभिन्न सिद्धांत विकसित किए गये हैं। निर्णित वादों की सहायता से उन सिद्धांतों की विवेचना कीजिए।

3. "The independence of the Judiciary is one of the central elements of India's democratic system. However, time and again, the independence of the judiciary has been challenged by external or political influence and this has raised some doubts on the provisions mentioned in the principle of separation of powers." In the light of this statement, discuss scope of independence of judiciary in terms of appointment and transfer of judges. Refer to decide cases.

"न्यायपालिका की स्वतन्त्रता भारत की लोकतान्त्रिक प्रणाली के केंद्रीय तत्वों में से एक है। यद्यपि बार-बार न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को बाहरी या राजनीतिक प्रभाव से चुनौती दी गई है और इसने शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत में उल्लिखित प्रावधानों पर कुछ संदेह पैदा किया है।" इस कथन के आलोक में, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण के संदर्भ में न्यायपालिका में स्वतत्रंता के विस्तार क्षेत्र की विवेचना कीजिए। निर्णित मामलों का हवाला दीजिए।

4. With the help of Constitutional Provisions and Judicial pronouncements write a critical note on National Emergency.

संवैधानिक प्रावधानों और न्यायिक निर्णयों की सहायता से राष्ट्रीय आपातकाल पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए।

5. In India, the concept of tortious liability of the State has been moving from civil tort to constitutional tort. Do you agree? Discuss critically with the help of decided cases.

भारत में, राज्य के अपकृत्यात्मक दायित्व की अवधारणा सिविल टॉर्ट से संवैधानिक टॉर्ट की ओर अग्रसर हो चला है। क्या आप सहमत हैं? निर्णित वादों की सहायता से आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।

6. "Parliamentary privilege refers to rights and immunities enjoyed by parliament as an institution and MPs in their individual capacity, without which they cannot discharge their functions as entrusted upon them by the Constitution." In the light of this statement, discuss the scope of Parliamentary privileges enshrined under Indian Constitution. Refer to decide cases.

संसदीय विशेषाधिकार उन अधिकारों एवं उन्मुक्तियों को संदर्भित करता है जो संसद द्वारा एक संस्था के रूप में और सांसद अपनी व्यक्तिगत क्षमता में प्राप्त करते हैं, जिनके बिना वे संविधान द्वारा उन्हें सौपे गए कार्यों का निर्वहन नहीं कर सकते।" इस कथन के आलोक में, भारतीय संविधान में निहित संसदीय विशेषाधिकारों के क्षेत्र विस्तार पर विवेचना कीजिए। निर्णित मामलों का हवाला दीजिए।

7. The Constitution of India secures the freedom of Trade, commerce and intercourse within the territory of India under Article 301, subject to reasonable restrictions and public interest ranging from articles 302-307. Discuss this with the help of decided cases.

भारत का संविधान अनुच्छेद 301 के अन्तर्गत भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वणिज्य और समागम की स्वतन्त्रता को सुरक्षित करता है जोकि अनुच्छेद 302 से 307 में विहित सम्यक प्रतिबन्धों और सार्वजनिक हित के अधीन है। निर्णित मामलों की सहायता से इसकी विवेचना कीजिए।

8. Discuss the Scope of State emergency with the help of decided cases.

निर्णित वादों की सहायता से राज्य आपातकाल के विस्तार क्षेत्र की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।

9. "The framers of the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspirations and changes in society. They did not see it as a scared, static and unalterable law. So, they made provisions to incorporate changes from time to time. These changes are called constitutional amendments." In the light of this statement, discuss the scope of amendment power of the Indian Parliament.

"भारतीय संविधान के निर्माताओं ने महसूस किया कि इसे लोगों की आकांक्षाओं और समाज में बदलाव के अनुरूप होना चाहिए। वे इसे एक पवित्र, स्थिर और अपरिवर्तनीय कानून के रूप में नहीं देखते थे। इसलिए उन्होंने समय-समय पर परिवर्तनों को सम्मिलित करने के लिए प्रावधान किया। इन परिवर्तनों को संवैधानिक संशोधन कहा जाता है।"इस कथन के आलोक में भारतीय संसद की संशोधन शक्ति के विस्तार क्षेत्र की विवेचना कीजिए।

10. "The presidential form of the government has a single executive system where the president is the head of the executive and is independent of the legislature. The Parliamentary form of government is a form of democracy where the executive gains political legistimacy by being responsible to the legislature" In the light of this statement discuss the merits and demerits of the both the form of the government. Also, suggest which government system will be best suited in modern changing Indian Political Scenario. Refer to Constitutional provisions and judicial verdicts.

"सरकार के राष्ट्रपति के रूप में एक एकल कार्यकारी प्रणाली होती है जहाँ राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है और विधायिका से स्वतन्त्र होता है। सरकार का संसदीय रूप लोकतन्त्र का एक रूप है जहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होने के कारण राजनीतिक वैधता प्राप्त करती है।" इस कथन के आलोक में सरकार के दोनों स्वरूपों के गुणों एवं दोषों की विवेचना कीजिए। साथ ही सुझाव दीजिए कि आधुनिक बदलते भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में कौन-सी शासन प्रणाली सबसे उपयुक्त होगी। संवैधानिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों का हवाला दीजिये।